

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत सोनिया भगत पिता स्व. सूरज भगत, श्री बबीत उराँव पिता कैल उराँव, श्री सुकर उराँव पिता स्व. रामदास उराँव, श्री सुदेश उराँव पिता फूलदेव उराँव, श्रीमती सुनीता कुजूर पति दुर्गा उराँव, श्री बलदेव उराँव पिता हरिहर उराँव, श्री बीरबल उराँव पिता हरिहर उराँव, श्री सुकर उराँव पिता मणि उराँव और श्रीमती कंचन देवी पति सुकर उराँव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं : 56 (रैयट्टी) खाता सं. 123, 188, 131 & 132 के अधीन प्लॉट सं:- 2281, 2290, 2291, 2330, 2306, 2310, 2329 और 2360, कुल रकबा - 18.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं : 56 (रैयट्टी) खाता सं. 123, 188, 131 & 132 के अधीन प्लॉट सं: - 2281, 2290, 2291, 2330, 2306, 2310, 2329 और 2360, कुल रकबा - 18.00 एकड़ के तहत सोनिया भगत पिता स्व. सूरज भगत, श्री बबीत उराँव पिता कैल उराँव, श्री सुकर उराँव पिता स्व. रामदास उराँव, श्री सुदेश उराँव पिता फूलदेव उराँव, श्रीमती सुनीता कुजूर पति दुर्गा उराँव, श्री बलदेव उराँव पिता हरिहर उराँव, श्री बीरबल उराँव पिता हरिहर उराँव, श्री सुकर उराँव पिता मणि उराँव और श्रीमती कंचन देवी पति सुकर उराँव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।